

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 07, बुधवार, शाके 1948- जुलाई 29, 2026 Sravana 07, Wednesday, Saka 1948- July 29, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

(राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 27, 2026

अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 धारा 4(1)

RAJKAJ REF 22773477 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार परियोजना सड़क बिजयनगर (एनएच-48 के जंक्शन से) ब्यावर (एनएच-58 के जंक्शन से) तकका खंड (राज्य राजमार्ग संख्या-39) लंबाई लगभग 42.500 कि.मी. सड़क को हाइब्रिड एन्यूइटी मोड (HAM) माध्यम से रामगढ़, हनुतिया, जीवाणा एवं बायला बाईपास एवं रिअलाइनमेंट सहित 2 लेन एवं पक्के शोल्डर में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला ब्यावर में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1.	ब्यावर	ब्यावर	कालियावास
2.			बायला
3.			राजोर
4.		मसूदा	रावला बाड़िया
5.			झांक
6.		बिजयनगर	देवगढ़ उर्फ सूतीखेड़ा
7.			हनुतिया
8.			धानीखेड़ा
9.			रामगढ़
10.			रेल का बाड़िया
11.			देवास
12.			जीवाणा
13.			रूपाहेली कलाँ

14.			रतनपुरा घाटा
15.			शिवपुरा घाटा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 'स्टर्लिंग इंडो टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, के साथ संयुक्त उद्यम एकम वेंचर' एजेन्सी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित एजेन्सी द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व संपूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

1. श्री धर्मेन्द्र जारवाल (पुनर्वास विशेषज्ञ), मो.न. 6006032145
2. श्री रामखिलाड़ी सैनी (सहायक पुनर्वास विशेषज्ञ), मो.न. 6350536122

कार्यालय - 1. "स्टर्लिंग इंडो टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, के साथ संयुक्त उद्यम एकम वेंचर"

वास्ते श्री नरेश कुमार चतुर्वेदी, HOD (8619061696)

601, सनी मार्ट, गंगाराम नगर,

मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) ।

2. उप महाप्रबंधक सह परियोजना निदेशक,

राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

पीआईयू अजमेर (राज) - 305001

आदेश द्वारा,

ए. के. साहू,
संयुक्त सचिव, (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान सरकार।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।